

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 212] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 17, 1972/श्रावण 26, 1894
No. 212] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 17, 1972/SRAVANA 26, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th August 1972

G.S.R. 381(E).—In pursuance of section 12A of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby specifies—

(a) the Orders mentioned in Schedule I hereto annexed, made by the Central Government, and

(b) the Orders mentioned in Schedule II hereto annexed, made by the Government of Uttar Pradesh,

under section 3 of the said Act, to be special Orders for purposes of summary trial under the said section 12A.

SCHEDULE I

(Orders made by the Central Government)

1. The Roller Mills Wheat Products (Ex-mill) Price Control Order, 1969.
2. The Uttar Pradesh Foodgrains (Restrictions on Border Movement) Order, 1969.
3. The Foodgrains Movement Restrictions (Exemption of Seeds) Order, 1970.

SCHEDULE II

(Orders made by the Uttar Pradesh Government)

1. The Uttar Pradesh Paddy and Rice (Restrictions on Movement) Order, 1970.

2. The Uttar Pradesh Kharif Foodgrains Requisitioning Order, 1970.

3. The Uttar Pradesh Rabi Foodgrains Requisitioning Order, 1970:

[No. 203(Gen)(1)/85/72-PY.II.]

A. K. MAJUMDAR, Jt. Secy.

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

प्रमुखता

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 1972

मा०का०नि० 381 (अ).—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 12 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार;

(क) इससे उपावद्ध अनुसूची I में उल्लिखित आदेशों, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गए हैं तथा,

(ख) इससे उपावद्ध अनुसूची II में उल्लिखित आदेशों, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाये गए हैं ?

को उक्त धारा 12 के अधीन मजिनि विचारण के प्रयोजनों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन विशेष आदेशों के रूप में एनद्वारा विनिर्दिष्ट करती है—

अनुसूची I

(केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये आदेश)

1. बेलन चक्की गहूं उत्पाद (मिज-वाह्य कीमत नियंत्रण) आदेश, 1969
2. उत्तर प्रदेश खाद्यान्न (सीमा-संचालन पर निर्वन्धन) आदेश, 1969
3. खाद्यान्न संचालन निर्वन्धन (बीज की छुट) आदेश, 1970

अनुसूची II

1. उत्तर प्रदेश धान और चावल (संचालन पर निर्वन्धन) आदेश, 197
2. उत्तर प्रदेश खरोफ खाद्यान्न अधिग्रहण आदेश, 1970
3. उत्तर प्रदेश रबी खाद्यान्न अधिग्रहण आदेश, 1970

[सं० 203(जी ई एन) (1)/85/72-पी आई-III]

ए० के० मजुमदार, संयुक्त सचिव ।